न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	05/25	2025/162	17.03.2025	सरकार बनाम विष्णु कुमार गुप्ता	30.03.2026	1 लगायत5

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 17/2021 (2021/38)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र कैलाश चन्द गुप्ता (विक्रेता) मैसर्स खण्डेलवाल जनरल स्टोर मेन बस स्टेण्ड, पिपलाई बामनवास सवाईमाधोपुर मो 9982177557 निवासी सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पीछे पिपलाई, बामनवास सवाईमाधोपुर। –अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (पप)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 13.09.2024 को 04:30 पी.एम पर मैसर्स: खण्डेलवाल जनरल स्टोर, मेन बस स्टेण्ड, पिपलाई, बामनवास, सवाईमाधोपुर पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञापत्र पत्र मांगा जिस पर उन्होने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं फर्म मालिक का आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर निर्माण ईकाई का [illegible] करने पर आम जनता को Mustard Oil (Krishanam Brand) 01 Ltr पैकिग बोतले वि[illegible] रखी हुई थी Mustard Oil (Krishanam Brand) 01 Ltr में मिलावट का [illegible] होने पर Mustard Oil (Krishanam Brand) 01 Ltr X 4 बोतल खरीदकर [illegible] कीमत 600/–रुपये [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

श्री विष्णु कुमार गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान डॉ० धर्मसिंह मीना के हस्ताक्षर करवायेएवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विष्णु कुमार गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री विष्णु कुमार गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म में हुए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 04 लीटर **Mustard Oil (Krishanam Brand)** 01 **Ltr** को मूल ही लेकर 04 नमूना भाग तैयार कर तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच 3407 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न. एच 3407 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना मागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्त है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छ. की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म स 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है [illegible] सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द [illegible] तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1055 दिनाक 09 10.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एलएस/3725/एक्ट/2024/3651 दिनांक 27.09.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Krishanam Brand)** 01 **Ltr- Substandard** होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Krishanam Brand)** 01 **Ltr- Substandard** का विकय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की सम्यक रूप से तामिल होने के बाबजूद अभियुक्त न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर अभियुक्त के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में आयी गई तथा प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Krishanam Brand)** 01 **Ltr- Substandard** का विकय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 05/25 (2021/38) सरकार बनाम विष्णु कुमार गुप्ता

हमने प्रार्थी पक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विषलेशक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3725/एक्ट/2024/3651 दिनांक 27.09.2024 निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)
Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-VII A
Test Report of the Food Analyst
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

NABL TC 8946

Report No. L.S. / 3725/ Act / 2024 / 3651 Date: 27-09-2024

Certified that I Pratibha Meena, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purviya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Mustard Oil (Krishanam Brand)" bearing Code number and Serial number H-3407 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 17-09-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Fats, Oils and Fat Emulsions" falling under Regulation No. 2.2.1.6 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 18-09-2024 to 27-09-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-
(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed narrow mouth plastic bottle packing of 1litre.
(2) Physical appearance : - Deep yellow coloured clear oil, free from separated water, suspended matter and rancidity.

Sl. No.	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Butyro-refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.003:2021:2021	60.2	58.0 to 60.5
2.	Saponification value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.007:2021:2021	173.45	168.0 to 177.0
3.	Iodine value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.010:2021:2021	123.62	96.0 to 112.0
4.	Acid value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.009:2021:2021	1.69	Not more than 6.0
5.	Test for Argemone oil	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.032:2021:2021	Negative	Negative
6.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.013:2021:2021	Negative	Negative
	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.030:2021:2021	Negative	Negative
[redacted]	[redacted]dded colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOODADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016	Absent.	Absent.
9.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of mustard oil).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of mustard oil)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat/oil.

Opinion: The sample of "Mustard Oil (Krishanam Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-3407 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011.

Signed this 27th day of September 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY Commissionerate of Food Safety and Drug Control, A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Food Analyst
(Authorized Signatory)
PRATIBHA MEENA
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

*** End of Report ***

Note : The results relate only to the item tested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य [illegible]tard Oil (Krishanam Brand) 01 Ltr- Substandard प्र[illegible] Iodine value [illegible] का होना पाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Based on FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) regulations, an iodine value of 123.6 is generally outside the permitted range for pure mustard oil.:-

FSSAI Standards for Mustard Oil (Sarson ka tel):

Iodine Value: Typically, FSSAI prescribes an iodine value of 98 to 110 (sometimes listed as 95-115 depending on the specific IS standard adopted) for pure, cold-pressed (kacchi ghani) mustard oil.

High Value Indication: An iodine value of 123.6 is quite high for mustard oil, indicating a higher degree of unsaturation.

Adulteration Risk: While high, this specific number is close to the range for other edible oils. However, a value of 123.6 might be indicative of adulteration with other oils like sunflower or rice bran oil (especially if the pungency is low), which usually have higher iodine values, or it may indicate a lower quality sample.

Important Context:

Regulation: FSSAI has prohibited the blending of mustard oil with any other edible oil (e.g., RBD palm oil, sunflower oil) to ensure purity.

Testing: If a sample tests at 123.6, it would likely fail quality control tests and be flagged as substandard by food safety officers.

Disclaimer: FSSAI standards can have specific variations for different types of mustard oil (e.g., refined, kacchi ghani). It is advised to check the most recent FSSAI notifications for the specific product category.

तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तग को खाद्य पदार्थ **Mustard Oil** (Krishanam Brand) 01 Ltr- **Substandard** प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 1,00,000 रूपये (अक्षरे–एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं । पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल [illegible] हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक [illegible].03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:13:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी